अधिकारी फील्ड पर जाकर दें आमजन को राहत : भजनलाल शर्मा

तेज बारिश से उत्पन्न स्थिति पर मुख्यमंत्री ने दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार रात से प्रदेश में हो रही बारिश से उत्पन्न हुई स्थिति के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि अधिकारी फील्ड पर जाकर स्थिति का जायजा लें तथा आपदा की स्थिति में आमजन को तुरंत राहत सुनिश्चित करें।

शर्मा गुरूवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपदा प्रबंधन पर आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून सीजन में पुराने एवं जर्जर भवनों का पूर्व में ही चिन्हीकरण कर लें, जिससे किसी भी प्रकार की क्षित को समय से रोका जा सके। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए चिकित्सा सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें, साथ ही पशुधन में होने वाली बीमरियों की रोकथाम के लिए भी उचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि आपदा नियंत्रण के लिए स्थापित कंट्रोलरूम को 24 गुणा 7 संचालित किया जाए तथा वहां आ रही प्रत्येक शिकायत का शीघ्र समाधान किया जाए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को अपने कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपदा प्रबंधन पर आयोजित बैठक को संबोधित किया। इस दौरान मुख्य सचिव सुधांश पंत और पुलिस महानिदेशक यू.आर.साहू सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल भराव वाले क्षेत्रों का आंकलन कर समुचित इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। इन जगहों पर दुर्घटनाओं से बचने के लिए साइन बोर्ड लगाए जाएं तथा आमजन विशेषकर बच्चों की आवाजाही की लगातार निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिला प्रशासन स्वयंसेवी संस्थाओं, समाज सेवियों तथा भामाशाहों से भी निरंतर संपर्क में रहे, ताकि आवश्यकता होने पर इनका सहयोग लिया जा सके। शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि

■ 'जल भराव क्षेत्रों की करें सघन निगरानी'

मीडिया में आ रही वर्षा जनित हादसों की खबरों पर तुरंत संज्ञान लेते हुए कार्यवाही करें। उन्होंने संबंधित विभागों को प्रभावित क्षेत्रों में धंसी सड़कों, टूटी नालियों के मरम्मतीकरण के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें ताकि आमजन को शीघ्र सहायता उपलब्ध हो सके। उन्होंने अधिकारियों को बारिश के मौसम में बांधों के जलस्तर की निगरानी, सफाई व्यवस्था, उचित यातायात प्रबंधन, पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं सहित विभिन्न सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत, पुलिस महानिदेशक यू.आर. साहू, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आनंद कुमार, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय आलोक गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास टी. रविकान्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की आयुक्त मंजू राजपाल सहित वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से विभिन्न ज़िला कलेक्टर, पुलिस महानिरीक्षक एवं जिला प्रशासन के अधिकारी जुड़े।

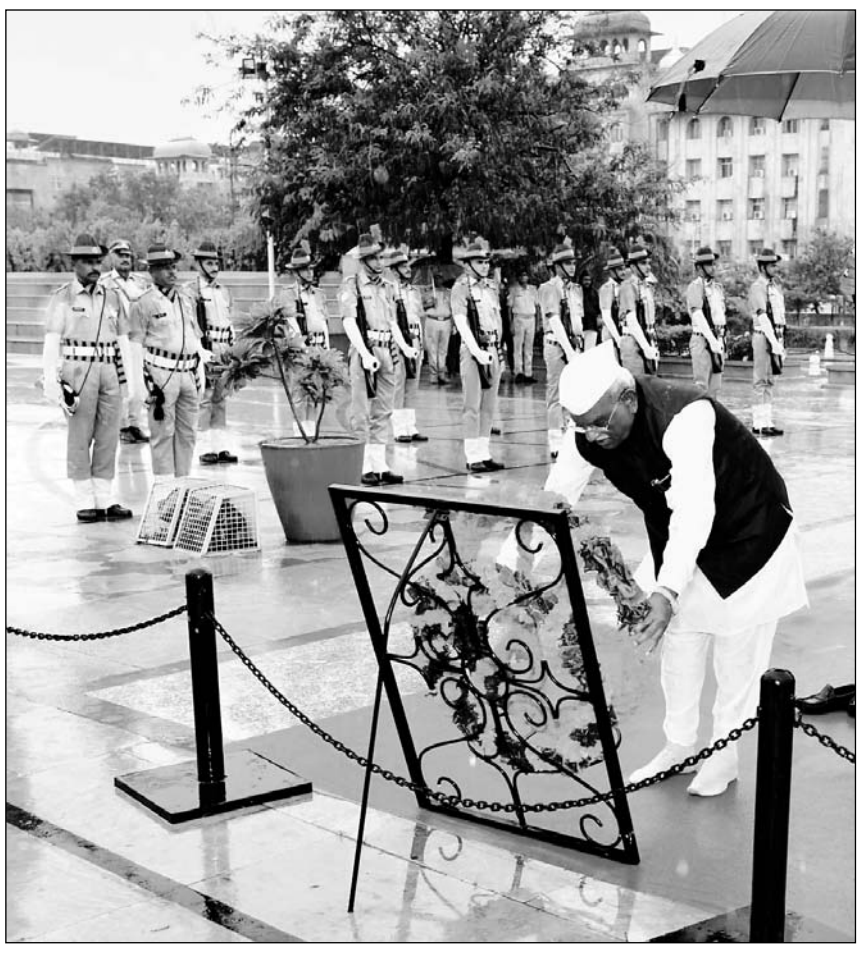

राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे ने गुरुवार को जनपथ स्थित अमर जवान ज्योति पहुंचकर वहां पुष्पचक्र अर्पित किया। राज्यपाल ने अमर जवान ज्योति पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वीर शहीद हमारे देश के वह गौरव हैं, जिनसे हम सब आलोकित होते हैं। उन्होंने वहां रखी विजिटर बुक में लिखा कि मां भारती के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले सभी शहीदों को मेरा नमन है। मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं।

क्या 'आर्बिट्रेटर' ने हाईकोर्ट को शुभम लॉजिस्टिक मामले में जानकर अंधेरे में रखा?

'इस मामले में आर्बिट्रेटर ने सही घोषणाएं नहीं कीं कि वह पक्षपात किये बगैर स्वतंत्रता से सुनवाई कर न्याय दे सकते हैं'

जयपुर, (का.सं.)। कृषि मंत्री किरोडी लाल मीणा द्वारा पिछली गहलोत सरकार में शुभम लॉजिस्टिक के द्वारा टेंडर की शर्तों को दरकिनार करते हुए करोड़ों के घोटालों और कृषि उपज को वेयर हाउस में डालने के बाद इंश्योर नहीं करने से जुड़े जिस घोटाले को उजागर किया गया था, उसी मामले में कुछ अन्य चौंकाने वाले तथ्य सामने आये हैं। मंत्री मीणा ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा था कि शुभम लॉजिस्टिक ने भंडारण निगम से अनुबंध के बाद कई शर्तों की पालना नहीं की जिससे उसे स्वयं 120 करोड़ से भी अधिक का अवांछित फायदा हुआ, साथ ही भंडारण निगम ने इस कंपनी से कई तरह की पैनल्टी नहीं वसूली, और न ही बैंक गारंटी ली। मंत्री के आरोपों के अनुसार गोदामों में पड़ी लगभग 3000 करोड़ की कृषि उपज को आज दिन तक सही तरह से इंश्योरेंस कवर नहीं दिया गया है। मंत्री ने अपने पत्र में इस प्रकरण से जुड़ी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (सी.ए.जी.) की ऑडिट रिपोर्ट का भी वर्णन किया है,

■ बताया जा रहा है कि भंडारण निगम इस आर्बिट्रेटर के समक्ष शुभम लॉजिस्टिक से संबंधित तीन अन्य मामलों की सुनवाई ना करवाने के संबंध में याचिका दायर करेगा

जिससे ये सारे आरोप सत्यापित होते हैं। मंत्री ने अपने पत्र में भंडारण निगम के कई अफसरों पर मिलीभगत के आरोप लगाये हैं।

ऐसे में गोदामों में पड़ी कृषि उपज, जिसकी अंततः खाद्य निगम ही जिम्मेदारी है, वह आज की तारीख में बारिश, आंधी तूफान, आग व अन्य तरीकों से खराब होने के लिये बिना बचाव के पड़ी हुई है और अपेक्षित है कि कुछ खराब भी हुई हो।

हैरानी की बात है कि उक्त मामले में आर्बिट्रेटर (मध्यस्थता करने के लिये नियुक्त अधिकारी) ने फैसला दिया था कि शुभम लॉजिस्टिक को भंडारण निगम से मिलने वाला बकाया दे दिया जाये, जिसके पश्चात कंपनी शर्तों के अनुसार उपयुक्त इंश्योरेंस, बैंक गारंटी व अन्य खर्चे अदा करेगीं। दस्तावेजों की जांच परख से सामने आया है कि राज्य भंडारण निगम के अधिकारियों ने उक्त मामले में जिस आर्बिट्रेटर को नियुक्त किया था, वह पहले से ही भंडारण निगम, शुभम लॉजिस्टिक और उसकी एक सबसिडरी ओरिगा कमोडिटीज लि.के तीन अन्य मामले पहले से ही सुन रहे हैं। इसके अलावा यह अधिकारी भंडारण निगम के ही तीन अन्य मामले, जिसमें सिम्फोनिया एंड ग्रेफिक्स प्रा.लि. कंपनी थी, के मामलों में भी एकल आर्बिट्रेटर नियुक्त किये गये थे और उन्होंने इन तीनों मामलों में अवार्ड भी जारी किया था।

गौरतलब है कि आर्बिट्रेशन एंड कंसीलेशन एक्ट 1996 की धारा 12(1)(बी) के अनुसार किसी भी विवाद में आर्बिट्रेटर की नियुक्ति के पूर्व उक्त अधिकारी/व्यक्ति को यह घोषणा कर बताना होता है कि वह किसी भी तरह ऐसा प्रभावित नहीं है कि विवाद में न्याय करने में उसे परेशानी का सामना करना पड़े। इसी संदर्भ में के आर्बिट्रेशन एंड कंसीलेशन एक्ट 1996 के पांचवें शिड्यूल के अनुसार संबंधित पार्टियों द्वारा आर्बिट्रेटर पिछले तीन वर्षों में दो बार नियुक्त किया जा चुका है या उसने किसी भी विवाद में संबंधित पार्टी को सलाह या मशविरा दिया है, तो उसकी नियुक्ति को हटाने के संबंध में कार्यवाही की जा सकती है क्योंकि उस आर्बिट्रेटर की स्वतंत्रता पर संदेह के आरोप लगाये जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि भंडारण निगम को शुभम लॉजिस्टिक्स के मामले को सुनने से पहले उक्त आर्बिट्रेटर से निगम के अधिकारियों ने यह स्पष्टीकरण नहीं लिया था कि वह दोनों कंपनियों के तीन मामले एकसाथ सुन रहे है और ना ही उन्होंने ऐसी कोई घोषणा की, जो कि नियमों के विरूद्ध था। बताया जा रहा है कि इस आर्बिट्रेटर के समक्ष भंडारण निगम के तीन अन्य मामले चल रहे थे, जिसमें शुभम लॉजिस्टिक्स व ओरिगो कमोडिटीज लि.शामिल हैं, उन मामलों को किसी अन्य आर्बिट्रेटर के समक्ष सुनने के लिये वापस लिया जा रहा है।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के 8 कार्मिकों को पदोन्नति

जयपुर, (का.सं.)। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के आठ कर्मचारियों को पदोन्नति मिली है। राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा एक अगस्त को की गई अभिशंषा के आधार पर इन कार्मिकों को पदोन्नत किया गया है। इनमें विक्रम सिंह, युगराज सिंह राठौड़, मोहिता बोहरा, सुनील दत्त पचौरी, स्वाति उपाध्याय, प्रीतम सिंह और दुर्गा मीणा शामिल हैं।

चर्चा ऐसी हो जिसका लाभ जनता को मिल सके : देवनानी

जयपुर, (वि.सं.)। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गुरूवार को सदन में कहा कि यह सदन पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के सदस्यों के सहयोग से चल रहा है। सदन की बैठकों को व्यवस्था से चलाने में सभी सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा है। इसके लिए सदस्यों को आसन द्वारा दी जाने वाली व्यवस्थाओं का अक्षरशः पालन करना होगा। यहां सभी बराबर है। समय निश्चित है। यह व्यवस्था संबंधित सचेतक द्वारा की जानी है कि उन्हें कितने सदस्यों को बुलवाना है, सचेतक को उसी हिसाब से सदस्य के लिए समय भी निर्धारित करना होगा।

देवनानी ने कहा कि सदस्यों को सदन में बोलने के लिए विषय वस्तु पर अध्ययन करना चाहिए। सदस्यों को समय सीमा को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को स्पष्ट तरीके से रखें, ताकि उसका लाभ जनता को मिल सकें। देवनानी ने कहा कि यह पवित्र सदन है। जनता का सदन है। जनता की समस्याओं को उठाने का सशक्त मंच है। यदि बहस सार्थक होगी तो उसका लाभ जनता को मिल सकेगा। देवनानी ने कहा कि वे कठोर नहीं बनना चाहते हैं। इसलिए विधायकों से अपनी बात को सार्थक तरीके से रखने का आग्रह करते है। उन्हों ने कहा कि आसन का कार्य समय का पालन कराना है। एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने के बजाए समस्या को स्पष्ट तरीके से उठाकर सार्थक बहस का हिस्सा बने। सार्थक बहस में विधायक के आने वाले सुझाव राज्य के पॉलिसी मेटर बनाने में भी सहायक होते है।

देवनानी ने विधायकों से अनुरोध किया कि प्रत्येक विधायक व्यवस्था का पालन करें। इससे सदन में की जाने वाली बहस की सार्थकता बढ सकेगी। जनता को भी इसका लाभ मिल सकेगा।

डमी अभ्यर्थी बैठाने के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार

जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में स्वयं के स्थान पर डमी अभ्यर्थी बैठाने के मामले में काफी समय से वांछित चल रहे एक आरोपित को गिरफ्तार किया है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एटीएस एवं एसओजी वीके सिंह ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 में स्वयं के स्थान पर डमी अभ्यर्थी बैठाकर परीक्षा में सफल होने का मामला एसओजी में दर्ज किया था। इस प्रकरण में वांछित चल रहे आरोपित अभिषेक बिश्नोई (25) निवासी लाठी जिला जैसलमेर हाल वरिष्ठ अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीमगुडा सिवाना जिला बालोतरा को गिरफ्तार किया है। अब तक की पूछताछ में सामने आया है कि आरोपित द्वारा अपने स्थान पर दोनों पारियों में दो अलग-अलग डमी अभ्यर्थियों से वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 का पेपर दिलाया था। एसओजी की टीम गिरफ्तार आरोपित से गहन पूछताछ में जुटी है। साथ ही इस प्रकरण में वांछित अन्य आरोपितों की तलाश कर रही है।

स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने गुरूवार को वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में स्वयं के स्थान पर डमी अभ्यर्थी बैठाने के मामले में काफी समय से वांछित चल रहे एक आरोपित को गिरफ्तार किया है।

'केवल वयस्क होने के आधार पर बेटे का भरण-पोषण भत्ता आदेश रद्द नहीं कर सकते'

जयपुर, (का.सं.)। हाईकोर्ट ने पढ़ाई कर रहे वयस्क बेटे से जुड़े मामले में कहा है कि केवल वयस्क होने के आधार पर ही बेटे को भरण-पोषण भत्ता देने वाले आदेश को रद्द नहीं किया जा सकता। प्रार्थी पिता ने भी यह माना है कि जब घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत भरण-पोषण भत्ते के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया गया था तो उसके बेटे की पढाई जारी थी और वह बीए डिग्री कोर्स कर रहा था। ऐसे में एडीजे कोर्ट के आदेश में किसी भी तरह का दखल देने की जरूरत नहीं है। जस्टिस प्रवीर भटनागर ने यह आदेश पिता व अन्य की आराधिक याचिका को खारिज करते हुए दिए।

■ याचिका में जयपुर मेट्रो-प्रथम की एडीजे कोर्ट के 29 अगस्त 2022 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें कहा था कि यदि वयस्क बेटा कोई आय अर्जित नहीं की कर रहा है और उसकी पढाई जारी है तो केवल वयस्क होने के चलते पिता भरण-पोषण राशि देने से मना नहीं कर सकते।

याचिका में जयपुर मेट्रो-प्रथम की एडीजे कोर्ट के 29 अगस्त 2022 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें कहा था कि यदि वयस्क बेटा कोई आय अर्जित नहीं की कर रहा है और उसकी पढाई जारी है तो केवल वयस्क होने के चलते पिता भरण-पोषण राशि देने से मना नहीं कर सकते। मामले से जुडे अधिवक्ता ने बताया कि एडीजे कोर्ट ने पिता की अपील को खारिज करते हुए निचली कोर्ट के उस आदेश को बहाल रखा था, जिसमें निचली अदालत ने पत्नी व बेटे को मासिक भरण पोषण देने को कहा था।

वित्त विभाग से जुड़े सवालों को स्थगित किया

जयपुर। पुरानी पेंशन से जुड़े कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा के सवाल से ठीक पहले स्पीकर वासुदेव देवनानी ने प्रश्नकाल के बीच में ही वित्त विभाग से जुड़े सवालों को स्थगित करने की सूचना दी। स्पीकर ने कहा कि वित्त आयोग की टीम राज्य के दौरे पर है। पूरे वित्त विभाग की टीम व्यस्त है। इसलिए इस विभाग से जुड़े तीनों सवालों को स्थगित कर दिया है। केवल वित्त मंत्री ही नहीं, पूरा वित्त विभाग व्यस्त हैं। डोटासरा पर पलटवार करते हुए सरकारी सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा ये सुर्खियों में रहने के लिए बेवजह आरोप लगा रहे हैं, ये इनकी आदत है।

मेरा सवाल स्थगित कर दिया, कितने दिन बचाओगे : डोटासरा

जयपुर, (वि.सं.)। विधानसभा में वित्त विभाग से संबंधित तीन प्रश्न स्थगित करने पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बोले मेरा स्वास्थ्य से जुड़ा सवाल क्यों स्थगित कर दिया, कितने दिन बचाओगे? डोटासरा ने आपत्ति जताते हुए कहा आप सवाल स्थगित कीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरकार लिखकर दे दे कि वो जवाब देने में सक्षम नहीं है। स्पीकर ने कहा कि ऐसा नहीं है।

डोटासरा ने कहा कि वित्त विभाग का तो समझ आता है। मेरा तो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा सवाल था, उसे क्यों स्थगित कर दिया। कितने दिन बचाओगे, जवाब क्यों नहीं देती सरकार। कांग्रेस विधायक ने हरिमोहन शर्मा ने पुरानी पेंशन का लाभ ले रहे कर्मचारियों की संख्या और पुरानी पेंशन योजना को यथावत रखने या नहीं रखने पर सरकार से सवाल पूछा था। डोटासरा ने आरजीएचएस और चिरंजीवी योजना में रजिस्टर्ड अस्पतालों में इलाज नहीं होने, मरीजों से पैसा वसूले जाने और इससे जुड़ी शिकायतों का ब्योरा मांगा था।

अंगदान जागरूकता के लिए रोड शो का आयोजन

जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने प्रदेश में चलाए जा रहे अंगदान

■ राजस्थान ने अंगदान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया : एसीएस

जागरूकता अभियान के तहत गुरूवार को अमर जवान ज्योति से रोड शो को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। यह रोड शो मोहन फाउण्डेशन, नवजीवन संस्था एवं सोटो के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया।

सिंह ने इस अवसर पर कहा कि विगत अल्प समय में ही राजस्थान ने अंगदान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। ऑनलाइन शपथ लेने के मामले में राजस्थान देशभर में अव्वल स्थान पर है। उन्होंने कहा कि यह बड़े हर्ष का विषय है कि अंगदान के प्रति जागरूकता फैलाने में उल्लेखनीय काम करने पर केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली में 3 अगस्त को आयोजित समारोह में राजस्थान को सम्मानित किया जाएगा। इसी प्रकार अंगदान के क्षेत्र में बेस्ट एनजीओ का अवार्ड मोहन फाउण्डेशन को दिया जाएगा।

चिकित्सा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने प्रदेश में चलाए जा रहे अंगदान जागरूकता अभियान के तहत गुरूवार को अमर जवान ज्योति से रोड शो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि निरंतर प्रयासों से राजस्थान में अंगदान कार्यक्रम लगातार मजबूत होता जा रहा है। अब यह विभागीय कार्यक्रम नहीं होकर, जन अभियान बन चुका है, जिसमें आमजन बढ़-चढ़कर भाग ले रहे हैं। साथ ही उनमें अंगदान को लेकर भ्रांतियां दूर हो रही हैं।

इससे अंगदान करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अमर जवान ज्योति पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीदों को नमन भी किया।

हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को अंतरिम जमानत देने से इंकार किया

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग पीडिता से दुष्कर्म के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे युवक को पन्द्रह दिन की अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस शुभा मेहता की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी राकेश की चतुर्थ अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता पर सह अभियुक्त से मिलकर पीडिता के नाबालिग रहने के दौरान गैंगरेप करने का आरोप है। पीडिता ने 1 अक्टूबर, 2021 को निचली अदालत में याचिकाकर्ता और सह आरोपी पर उसे बेहोश कर ले जाने और दुष्कर्म करने का बयान दिया था। ऐसे में याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।

याचिका में कहा गया कि पीडिता की वर्ष 2021 में याचिकाकर्ता से सगाई हुई थी। इसके बाद दोनों आपस में मिलने लगे, लेकिन यह बात पीडिता

■ अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता पर सह अभियुक्त से मिलकर पीडिता के नाबालिग रहने के दौरान गैंगरेप करने का आरोप है। ऐसे में याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।

के पिता को पसंद नहीं आई। ऐसे में उन्होंने याचिकाकर्ता के खिलाफ दबाव डालकर कालाडेरा थाने में झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी। इसके बाद पीडिता को बडी उम्र के व्यक्ति को बेचने का प्रयास भी किया गया। पीडिता अब वयस्क हो चुकी है और याचिकाकर्ता के साथ विवाह करना चाहती है। इसके अलावा निचली अदालत में प्रकरण पर सुनवाई भी लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन हाईकोर्ट ने निचली अदालत को फैसला सुनाने पर स्टे दे रखा है। ऐसे में उसे पन्द्रह दिन की अंतरिम जमानत दी जाए। सुनवाई के दौरान पीडिता ने पेश होकर कहा कि उसने पूर्व में अपने पिता के दबाव में बयान दिए थे। वह वयस्क हो चुकी है और याचिकाकर्ता से शादी करना चाहती है। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए पीडिता के पिता की ओर से अधिवक्ता अनुराग पारीक ने कहा कि अभियुक्त और पीडिता की सगाई की बात झूठी है। वास्तव में मामला प्रेम प्रसंग का ना होकर सामूहिक बलात्कार का है। जिसमें याचिकाकर्ता व एक अन्य पर आरोप लगाए गए हैं। अदालत पूर्व में भी याचिकाकर्ता की जमानत याचिका को खारिज कर चुका है। ऐसे में इस अंतरिम जमानत याचिका को भी खारिज किया जाए। सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।